Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में समग्र शिक्षा अभियान का कनिष्ठ अभियंता 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जून, सोमवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये ज्ञानप्रकाश शुक्ला कनिष्ठ अभियंता, मुख्यालय समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये कार्यों के 5 लाख रुपये के बकाया बिलों तथा डिफेक्ट लाईबिलिटी के भुगतान की एवज में ज्ञानप्रकाश शुक्ला कनिष्ठ अभियंता, मुख्यालय समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर द्वारा **1 लाख 28 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह नैन** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री बहादुर सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये ज्ञानप्रकाश शुक्ला पुत्र श्री अतरलाल निवासी प्लॉट नं0 4, शान्ति नगर, 132 केवी जीएसएस, पुराने घाट के सामने गोनेर रोड़, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, मुख्यालय समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी से पूर्व में ही **26 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। मामले में संलिप्त अन्य अधिकारियों के संबंध में एसीबी टीम द्वारा आरोपी से पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।